5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

263

समक्ष : माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, खण्डपीठ जबलपुर

राजस्व निगरानी क्र.- /2015

नि. - 800 - I - 16

संत नेतराम रैदास : रिवीजनकर्ता/आवेदक

बनाम

म0प्र0शासन : अनावेदक

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

रिवीजनकर्ता निवेदन करता है कि रिवीजनकर्ता के द्वारा माननीय अतिरिक्त कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक- 1/अ-74/2011-12 नेतराम विरूद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 02/05/2012 में पारित आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण क्रमांक 619/अ-74/2011-12 संत नेतराम विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य है जिसमें दिनांक 24/07/2012 में अपील को निरस्त कर दिया गया जिससे व्यथित होकर रिवीजनकर्ता के द्वारा यह रिवीजन प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके तथ्य एवं आधार निम्नानुसार है :-

:: तथ्य ::

1- यह कि, अपीलार्थी संत नेतराम रैदास सन्यासी है, जो ग्राम बेलखेड़ी ब.नं.-424, प.ह.नं. 79/30, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर में स्थित ख.नं. 406/1, रकबा- 51.758 हे. भूमि में से 1 हेक्टेयर भूमि संत शिरोमणि रविदास समिति बेलखेड़ी के द्वारा सार्वजनिक रविदास मंदिर व आश्रम का निर्माण एवं गौशाला वृद्ध आश्रम एवं स्कूल हेतु भूमि आवंटन की मांग की गयी थी, जिसमें श्रीमान् नायब तहसीलदार गोटेगांव द्वारा प्रकरण दर्ज ग्राम पंचायत का अभिमत प्राप्त किया व इश्तहार का प्रकाशन किया जाकर पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त किया गया एवं नायब तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन सहित प्रकरण श्री अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था जो एस.डी.ओ. गोटेगांव द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन प्रकरण का आवेदन दिनांक 23/08/2011 में निरस्त कर दिया गया ।

NOTARY Name- Kamlesh Sharma Area Jabalpur Distt. MP GOVT. OF M.P. INDIA

24 FEB 2016

... कर सकता है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 800–एक / 16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 619 / अ–74 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 24–7–12 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन पेश कर मौजा वेलखेड़ी के खसरा नं. 406 / 1 रकबा 51.758 हैक्टर में से एक हैक्टर भूमि आश्रम के निर्माण, गौशाला, वृद्धाश्रम एवं स्कूल हेतु आवंटन की मांग की । नायब तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर से प्रकरण दर्ज कर इश्तहार का प्रकाशन कराया एवं ग्राम पंचायत से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भेजा अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17–4–12 द्वारा आवेदन निरस्त करने हेतु प्रकरण कलेक्टर, नरसिंहपुर को भेजा । कलेक्टर नरसिंहपुर ने आदेश दिनांक 2–5–12 द्वारा प्रकरण खारिज किया गया । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त न आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि उपरोक्त भूमि में वर्षों से संत शिरोमणि रंविदास आश्रम बना है तथा शासन द्वारा उक्त आश्रम हेतु	

निग.- 800- 1/16 (नि[illegible])

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि दिए जाने की जानकारी चाही गई है । उपरोक्त समिति पंजीकृत समिति है जिसका व्यक्ति गत उपयोग न होकर संत रविदास आश्रम समिति के नाम से संचालित समिति है, अतः शासन जमीन आवंटित कर सकता है । यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने छोटे झाड़ जंगल के रूप में दर्ज भूमि को वन भूमि मानने में विधिक भूल की है । भूमि आवंटन हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य मे अभिलेख का अवलोयकन किया गया । यह प्रकरण छोटे झाड़ जंगल के रूप में दर्ज भूमि के आवंटन के संबंध में है । अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित और विधिसम्मत मानते हुए स्थिर रखा गया है । प्रकरण में जो वैधानिक स्थिति है उसके अनुसार अपर आयुक्त का आदेश उचित और विधिसम्मत है क्योंकि आलोच्य भूमि छोटे झाड़ के जंगल के रूप में वन भूमि है इस कारण उसका आवंटन नहीं किया जा सकता है । अपर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपील मेंमो में खसरा नं. 403/1 रकबा 2.00 हैक्टर भूमि का पट्टा देने का उल्लेख किया गया है किंतु इस भूमि के संबंध में अपील अथवा उसके साथ संलग्न	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 800–एक / 16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दस्तावेजों में भूमि आवंटन के लिए आवेदक का आवेदन ही संलग्न नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे उचित और विधि की सीमा में होने से पुष्टि योग्य हैं । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाते हैं । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	